न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट शाहबाद, जिला बारां

पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बबल (आर.ए.एस.)

प्रकरण क्र. 2/20

दायर दिनांकः–14.02.2020 निर्णय दिनांकः–16.03.2020

1. कपूरी पुत्री घसीटा पत्नि बंशी उम्र 70 वर्ष जाति गांली निवासी टांडाकाछियान हाल निवासी सहरोलतलहटी तहसील भाहबाद जिला बारां राजस्थान।
2 नब्बो पुत्री घसीटा पत्नि शंकर उम्र 68 वर्ष जाति माली निवासी टांडाकाछियान हाल निवासी सहरोलतलहटी तहसील भाहबाद जिला बारां राजस्थान।
3. गजरी पुत्री घसीटा पत्नि हरिचरण उम्र 65 वर्ष जाति माली निवासी टांडाकाछियान हाल निवासी पुरैनी तहसील भाहबाद जिला बारां राजस्थान।

–प्राथीगण

बनाम

1. रामसेवक पुत्र शंकर जाति माली निवासी पुरैनी तहसील भाहबाद जिला बारां राजस्थान।
2 कन्हैयालाल पुत्र शंकर जाति माली निवासी पुरैनी तहसील भाहबाद जिला बारां राजस्थान।

– अप्रार्थीगण

दावा अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है–

1 ग्राम पुरैनी पटवार क्षेत्र सन्दोकडा तहसील शाहबाद में आराजी खसरा नं0 90 रकबा 0.16 बीघा स्थित है, जिसे प्रार्थनापत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण को अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई है जो एकमात्र प्रार्थीगण के खाते तथा कब्जेकाश्त की है, जिसमें प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी का कोई हक व अधिकार नही है। उक्त विवादित भूमि किस्म खेडा–2 के रूप में दर्ज है, जिसके चारों और वर्तमान में ग्राम पुरैनी की आबादी बसती जा रही है, इस कारण उक्त भूमि वर्तमान में पहले से अधिक कीमती हो गयी है। चूंकि प्रार्थीगण के पिता व मां की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रार्थीगण के कोई भाई नही है, प्रार्थीगण विवाहित होकर वर्तमान में अपनी–अपनी ससुराल में निवासरत है, इसी बात का नाजयज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण जबरन प्राथीगण के खाते व कब्जे –काश्त की उक्त विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहते है, इसी ध्येय से अप्रार्थीगण ने दिनांक 10.02.2020 को प्रार्थीगण की उक्त आराजी में करीब 3–4 ट्राली पत्थर तथा 2 ट्राली बजरी डाल दी है, जिसका पता लगने पर दूसरे दिन ही प्रार्थीगण ग्राम पुरैनी पहंची और अप्रार्थीगण से कहा कि आपने बिना हमारी अनुमति के हमारे खाते की उक्त भूमि पर पत्थर व बजरी कैसे डाल दी, तो अप्रार्थीगण ने धमकी दी है कि वे प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर मकान निर्माण करेंगे, प्रार्थीगण को दिखे जो कर लें। इस प्रकार अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीगण के खाते की उक्त विवादित आराजी पर अवैध निर्माण कर कब्जा करने का आमादा हो रहै है, जिसका अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार नही है। इस कारण प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की वैधानिक हकदार है।

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

, यदि अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया तो वे प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजी में निर्माण करने में कामयाब हो जावेंगे, जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका मुद्रा में मुल्यांकन संभव नही हो सकेगा और वाद पेश करना ही निरर्थक हो जावेगा।

प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजी खसरा नं090 रकबा 0.16 बीघा ग्राम पुरेनी पटवार क्षेत्र सन्दोकडा तहसील शाहबाद में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण आदि नहीं करें और प्रार्थीगण के खाते तथा स्वतंत्र कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी न तो अप्रार्थीगण स्वयं करें, न अन्य से करावें। अन्य न्यायोचित सहायता जो श्रीमान मुनासिब समझें प्रार्थीगण को प्रदान की जावें।

प्रार्थना पत्र वाद जांच दर्ज राजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता निम्न प्रकार जबाब पेश किया:–

1–यह है कि प्रर्थनापत्र की मद नं0 1 में मात्र वादपत्र प्रस्तुत का स्वीकार है शेष विवरण अस्वीकार है। यह है कि प्रर्थनापत्र की मद नं0 2, 3, 4, 5 में मात्र वादपत्र प्रस्तुत का अस्वीकार है शेष विवरण विशेष आपत्ती में दर्ज है। यह कि कि प्रर्थनापत्र की मद नं0 6, 7 कानूनी है।

विशेष आपत्ती

1. यह है कि उक्त भूमि ग्राम पुरेनी मे आबादी बस्ती है जिसमें अप्रार्थीगण का जन्म से ही पुस्तेनी मकान व कोट पत्थर बना हुआ है जिसपर हम अप्रार्थीगण का कब्जा चलता आ रहा है। अप्रार्थीगण के पुस्तैनी मकान है उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा नही रहा है। न ही कभी उक्त भूमि को काश्त किया तथा ना ही उसकी पैमाइश कराई है। उक्त भमि निरन्तर अप्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है।प्रार्थीगण जबरन अप्रार्थीगण को परेशानी करती है और भूमि मुकदमा अप्रार्थीगण को परेशानी करती है और प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्व न्यायालय ऐसीजेएम शाहाबाद में धारा 447 , 9 पीसी का मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें अप्रार्थीगण को वरी किया गया तथा तथा प्रार्थीगण का कब्जा नही माना गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को कोई धमकी नही दी। यह है कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय ऐसीजेएम शाहबाद मे विचाराधीन मुकदमा नं0 428/2014 सरकार बनाम रामसेवक अभियोग 447, 34,98 में अपने ब्यानो मे कब्जा अप्रार्थीगण ग्राम सेवक व कन्हैया भी बताया गा है। अतः जबाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावे जाने की कृपा करे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम पुरेनी संवत 2073–76 के अनुसार प्रार्थीगण वाद ग्रस्त भूमि की खातेदार है। खसरा गिरदावरी सवंत 2073 के अनुसार विवादित आराजी मौके पर पडत है।अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निर्णय ए सी जे एम न्यायालय शाहबाद प्रकरण संख्या 428/2014 मे प्रस्तुत साक्षी पी.ड.–7 विवेक जैन पटवारी का कथन की प्राथीगण का 16 विस्वा का एक बाडा जिसकी पैमाइश उसने की थी और सीमाज्ञान करवाया था। मौके पर रामसेवक और कन्हैयालाल का अतिक्रमण होना बताया गय था। इस प्रकार विवादित आराजी पर कब्जे के संबंध में दोनो पक्षो के कथन एक दूसरे के विरोधाभाषी है।प्राथी का कथन है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

नवीन निर्माण कार्य करने पर आमादा है। ऐसी स्थिती में हम यह उचित समझते है कि जहां पर कब्जे के संबंध में संदेह हो वहा पर दोनो पक्ष मौके की यथा स्थिती बनाये रखें।

अतः उभय पक्ष को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नं0 90 रकबा 0.16 बीघा ग्राम पुरेनी पटवार हल्का संदोकडा की मौके की यथा स्थिती मूलवाद के निस्तारण तक बनाये रखे। किसी प्रकार का नवीन निर्माण कार्य ना करें।

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद (राज.)

Scanned by CamScanner